

रजिस्टर्ड 'ए.डी.



इन्दौर विकास प्राधिकरण  
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांक : 2541

दिनांक : 27 MAR 2023

प्रति,

श्री कृष्ण गोपाल सोनी पिता श्री परसराम सोनी एवं  
श्रीमती नर्मदा सोनी पति श्री परसराम सोनी,  
संयुक्त निवासी : डी-27, जनता क्वार्टर, नंदा नगर,  
इन्दौर (म.प्र.)

विषय : योजना क्रमांक 134 में आवासीय उपयोग के रो-हाउस क्र. आर.एच.-122  
के अंतरण बाबद।

संदर्भ : आपका आवेदन आवक पत्र क्रमांक 55867 दिनांक 26-12-2022

- 0 -

योजना क्र. 134 के रो-हाउस क्र. आर.एच.-122 प्रथमतः 30 वर्ष की लीज पर लीजगृहिता को आवासीय उपयोग हेतु आवंटित/अंतरित किया गया था। आवंटित/अंतरित पर आवंटन, इकरारनामा, लीजडीड की शर्तें बंधनकारक होने से क्रेता द्वारा संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति, इकरारनामा, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, के आधार पर अंतरण से संबंधित सभी कार्यवाही पूर्ण है। जाहिर सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में दिनांक 17-01-2023 को किया गया था। अंतरण के संबंध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से प्राधिकारी के अभिलेख में योजना क्र. 134 के रो-हाउस क्र. आर.एच.-122 पर अब आपका नाम पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक MP179142019A1046570 दिनांक 21-01-2019 में उल्लेखित क्रेता अर्थात श्री कृष्ण गोपाल सोनी पिता श्री परसराम सोनी एवं श्रीमती नर्मदा सोनी पति श्री परसराम सोनी संयुक्त का नाम अंतरित की हैसियत से प्राधिकारी अभिलेख में दर्ज किया जाता है।

उपरोक्त नामांतरण से संबंधित उक्त आवासीय भूखण्ड पर स्वीकृत नक्षे के विपरीत निर्माण/अनाधिकृत निर्माण/एम.ओ.एस. में निर्माण वैध नहीं होगा, इसके लिए सक्षम संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

आवंटन/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग/शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा क्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई जानकारी असत्य होने की स्थिति में उपरोक्त अंतरण का पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(मु.का.अ. महो. द्वारा जारी निर्देशानुसार)

संपदा अधिकारी वर्ग-2

इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

पृ.क्रमांक : /दो/2/संपदा/2023

दिनांक :

प्रतिलिपि :

- 1- श्री विजयेन्द्र सोलंकी पिता अनूप सिंह सोलंकी, निवासी : - 144-ए, स्लाईस-5 स्कीम नं. 78 अरण्य नगर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
- 2- ई.डी.पी. मैनेजर, इ.वि.प्रा. इंदौर संदर्भ क्रमांक 13412395 में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

- 54 -

संपदा अधिकारी वर्ग-2

इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर



इन्दौर विकास प्राधिकरण  
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांक : 7311

/संपदा/2017

दिनांक 22 DEC 2018

प्रति,

✓ श्री /श्रीमती SHRI VIJYENDRA S/O ANOOPSINGH SOLANKI  
निवासी - 144-A, SLICE NO 5 SCH NO 78 ARANYA NAGAR INDORE


विषय :- प्राधिकारी की योजना क्रमांक 134 का भूखण्ड क्रमांक RH-122 के विक्रय (अंतरण)  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र बाबद।

संदर्भ :- आवेदन आवक क्रमांक 9940 दिनांक 20/12/2018

योजना क्रमांक 134 का भूखण्ड क्रमांक RH-122 कुल क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर RESIDENTIAL उपयोग हेतु प्रथम 30 वर्ष की लीज (लीज अवधि दिनांक 16/01/2014 से 16/01/2044 तक) पर श्री / श्रीमती SHRI VIJYENDRA S/O ANOOPSINGH SOLANKI निवासी -144-A, SLICE NO 5 SCH NO 78 ARANYA NAGAR INDORE को आवंटित किया गया है। पट्टा धारक पर आवंटन, इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक हैं। फ्लैट का प्रीमियम एवं वर्ष 2017-18 का लीजरेंट प्राधिकारी कोष में जमा है।

उक्त संपत्ति प्रतिवर्ष ली जाने वाली लीज का हक कायम रखते हुए अगर किसी व्यक्ति/ संस्था को अंतरित किया जाता है तो प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। लीजडीड में उल्लेखित समस्त शर्तें अंतरिती पर भी बंधनकारक होगी। आवंटन इकरारनामा लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

लीजडीड की शर्त अनुसार अंतरण शुल्क प्राधिकारी खाते में क्रेता को जमा करना होगा।

  
प्रभारी अधिकारी, एकल खिड़की  
प्रभारी अधिकारी (समल खिड़की)  
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर